न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 43 / 2024 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस.नम्बर—2024 / 63

उनवान

1. श्रीमती मंजुला गाँधी पत्नि श्री कमल कुमार गोंधी उम्र बालिग जाति जैन निवासी सलूम्बर, तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

—प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमती वदनीबाई पत्नि श्री मावा मीणा उम्र बालिग निवासी सुरो का कुँआ तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
2. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

—विपक्षीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

—::निर्णय::—

दिनांकः— 23/12/2025

उपस्थितिः श्री राकेश प्रजापत अधिवक्ता—प्रार्थी
विपक्षी संख्या 1 एकपक्षीय
पेरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर उपस्थित।

आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से हैं कि मौजा ग्राम सुरो का कुँआ व लकापा पटवार हल्का अदकालिया मे प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 01 की क्रमशः आबादी एवं कृषि स्थित है जिसमे प्रार्थीया ने आराजी नम्बर 294 रकबा 0.27 हैक्टेयर दिनांक 19—03—2010 को पूर्व स्वामी से आबादी पट्टे के जरिये क्रय की थी तथा उक्त कृषि भूमि से आबादी व उक्त आबादी के पश्चात् विक्रयपत्र के अनुरूप ही मौके पर मौजा ग्राम सुरो का कुँआ पर स्वामित्व एवं आधिपत्य होकर भूखण्ड बनाये गये तथा विपक्षीया नं. 01 जो कि प्रार्थीया की स्वामित्व, आधिपत्य की उक्त आबादी भूमि से सटाकर कृषि भूमि की खातेदार है जिसके आराजी नम्बर 1671 / 1383, 1677 / 1384 कुल खसरा 2 रकबा 0.6703 हैक्टेयर स्थित है, परन्तु उक्त आबादी व कृषि भूमि के सटाकर होने से विपक्षीया आये दिन उक्त भूमि को लेकर झगडा—फंसाद इत्यादी करती रहती है तथा प्रार्थीया का कहना है कि विपक्षी संख्या 1 सीमा को लेकर बार—बार विवाद उत्पन्न करती है और झूठे मुकदमे की धमकी देती है। दोनों गाँवों की सीमा पास—पास होने से मौके पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थित में मौक पर विवाद होने से व आबादी व कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड के अनुरूप पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक होकर न्यायोचित है। प्रार्थीया की भूमि जो मौके पर आबादी भूमि होकर आवासीय उपयोग, उपभोग की होकर जहाँ किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही होकर न ही किसी प्रकार की कोई फसल उगा रखी हैं। तहसीलदार को पक्षकार इसलिये बनाया गया है क्योकि भूमिधारी होकर राज्य सरकार के प्रतिनिधि है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि उक्त पत्थरगढी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा सुरो का कुँआ के हाल आराजी नं. 294 रकबा 0.27 हैक्टेयर आबादी भूमि व आराजी नम्बर 1671 / 1383, 1677 / 1384 किता 2 रकबा 0.6703 हेक्टर कृषि भूमि की पत्थरगढी का आदेश फरमावे।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर जिला –सलूम्बर
बजरिये:– श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.

प्रार्थना संख्या–43/2024

उनवान–श्रीमती मंजुला बनाम श्रीमती वदनीबाई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर. एक्ट.

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटीस/सम्मन जारी किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल मीणा ने वकालतनामा पेश किया विपक्षी संख्या 1 को जवाब हेतु कई अवसर दिये गये परंतु निर्धारित अवसरों पर कोई जवाब पेश नहीं किया गया। आदेशिका दिनांक 15–10–2025 को विपक्षी संख्या 1 एक एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति रहने से उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 2 पेरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर जाहिर रहे। जिन्हाने ने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीया के आराजीयात की पत्थरगढी का आदेश पारित किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

तद्पश्चात पत्रावली मे बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए हुए कथन किया कि मौक पर सीमा को लेकर प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 के मध्य विवाद की स्थिति बनी हुई है। अतः प्रार्थना हैं कि उक्त पत्थरगढी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा सुरो का कुँआ के हाल आराजी नं. 294 रकबा 0.27 हैक्टेयर आबादी भूमि व आराजी नम्बर 1671/1383, 1677/1384 किता 2 रकबा 0.6703 हेक्टर कृषि भूमि की पत्थरगढी का आदेश प्रदान करावे।

विपक्षी संख्या 2 ने कथन किया कि यदि प्रार्थीया की भूमि की पत्थरगढी की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

बहस मनन की गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन, प्रार्थीया के कथन तथा तहसीलदार की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति न होने से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया का स्वामित्व आराजी नं. 294 पर विधिवत स्थापित है। प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 की भूमि परस्पर सटी हुई है। प्रार्थीया द्वारा आराजी नम्बर 294 की सीमा जानकारी की पूर्व मे दिनांक 28–12–2022 की गई है जिसकी रिपोर्ट उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। सीमांकन स्पष्ट न होने के कारण विवाद की स्थिति बनी हुई है। अतः राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप सीमांकन किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के मौजा ग्राम सुरो का कुँआ, पटवार हल्का अदकालिया, तहसील सलूम्बर की आराजी नंबर 294 रकबा 0.27 हैक्टेयर एवं विपक्षी संख्या 1 की आराजी नंबर 1671/1383 व 1677/1384 कुल रकबा 0.6703 हैक्टेयर भूमि की राजस्व अभिलेख के अनुरूप सीमांकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। सीमांकन हेतु आवश्यक शासकीय शुल्क प्रार्थीया द्वारा नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा कराया जावे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सलूम्बर के नाम जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करे।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला–सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)